



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219772
CG-DL-E-05062020-219772

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1584]
No. 1584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2020/ ज्येष्ठ 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2020/ JYAISTHA 15, 1942

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

का.आ. 1766(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख की तारीख से ही कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11क के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियां कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 की सं. 11) की धारा 6 के अधीन नियुक्त नामित प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

2. पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नामित प्राधिकारी करेगा —

- खनिज भंडारों, उत्पादन, उत्पादन लागत, खान अवसंरचना और इसी तरह ब्लॉक डोजियर तैयार करने सहित कोयला या लिग्नाइट के किसी भी ब्लॉक से संबंधित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी से आवश्यक सूचना मंगाना;
- निविदा दस्तावेज, नीलामी और आवंटन शर्तें, सफल आवंटियों के साथ किया जाने वाला प्रतिरूपण करार या नीलामी और आवंटन संचालित करने के लिए अपेक्षित अन्य कोई भी दस्तावेज तैयार करना;
- आवंटन प्रक्रिया संचालित करने के पश्चात, अधिमान्य बोलीदाता या अधिमान्य आवंटिती के नाम की घोषणा करना और अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें अग्रेषित करना;

- (iv) केंद्रीय सरकार से निदेश प्राप्ति पर सफल आवंटिती के साथ ब्लॉक विकास और उत्पादन से संबंधित करार करना या आवंटन प्रक्रिया रद्द करना;
- (v) आवंटन आदेश को निष्पादित करना;
- (vi) आवंटन आदेश और अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करना;
- (vii) आवंटन से प्राप्त नीलामी आगम और रकम की प्राप्ति के लिए अपेक्षित कदम उठाना;
- (viii) सफल आवंटिती से निष्पादन बैंक प्रतिभूति प्राप्त करना और आवंटन की शर्तों के अनुसार ऐसी बैंक प्रतिभूति का अवलंब लेना;
- (ix) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियमों या विनियमों के अधीन सुसंगत सांविधिक प्राधिकारियों से सूचना मंगाना;
- (x) अपने कार्यों के निष्पादन के लिए एक या अधिक बैंक खाते खोलना, संचालित करना और बनाए रखना; और
- (xi) अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त करना।

3. नामित प्राधिकारी नीति के प्रश्न पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लिखित निदेश द्वारा आबद्ध होगा।

[फा. सं. सीबीए1-13011/1/2020-सीबीए 1]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2020

S.O. 1766(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the powers of the Central Government under section 11A of the said Act in accordance with the Coal Blocks Allocation Rules, 2017 shall also be exercisable by the nominated authority appointed under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (No. 11 of 2015).

2. Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the nominated authority shall—

- (i) call for all information necessary from any person or authority in relation to any coal or lignite block, including records in relation to the mineral reserves, production, costs of production, mine infrastructure and the like and prepare block dossier;
- (ii) prepare tender document, auction and allotment conditions, model agreement to be entered with the successful allocatees or any other documents required for conduct of auction and allotment;
- (iii) after conducting the allocation process, declare the name of preferred bidder or preferred allottee and forward its recommendations to the Central Government for approval;
- (iv) upon receipt of the direction from the Central Government, enter into agreement related to block development and production with the successful allocatee or cancel the allocation process;
- (v) execute the allocation order;
- (vi) inform the relevant Central Government authorities and State Government authorities to act in pursuance of the allocation order and the provisions of the Act and rules framed thereunder;
- (vii) take requisite steps for the collection of auction proceeds and the amounts realised from allotment;
- (viii) collect performance bank guarantee from the successful allocatee and invoke such bank guarantee in accordance with the terms of allocation;

- (ix) call for information from the relevant statutory authorities under the Act and any rules made or regulations framed thereunder;
 - (x) open, operate and maintain one or more bank accounts for discharge of its functions; and
 - (xi) engage experts and advisors to assist it in discharge of its functions.
3. The nominated authority shall be bound by the written direction given by the Central Government on the question of policy.

[F.No. CBA1-13011/1/2020-CBA1]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.